बाह्य प्रायोगिक परीक्षक (Practical Examiner) की नियुक्ति, दायित्व, कर्तव्य एवं अधिकार

प्रत्येक केन्द्राध्यक्ष का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि उनके परीक्षा केन्द्र में संपन्न होने वाले सभी व्यवसायों की प्रायोगिक परीक्षा के लिये बाह्य प्रायोगिक परीक्षक (प्रैक्टिकल एक्जामिनर्स) का pool तैयार कर सूची क्षेत्रीय कार्यालय एवं स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन को परीक्षा के कम से कम 20 दिवस पूर्व अनुमोदन के लिये भेजा जावे। प्रैक्टिकल एक्जामिनर्स नियुक्त करने में यह विशेष ध्यान रखा जावे कि निर्धारित व्यवसाय की प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिये वे पात्रता रखते हैं अर्थात उस व्यवसाय में प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हताओं को पूरी करते हैं, योग्य हैं एवं संबधित सेक्टर में कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव रखते हैं। आईटीआई में पदस्थ नियमित एवं संविदा प्रशिक्षण अधिकारी को भी बाह्य प्रायोगिक परीक्षक के रूप में क्षेत्रीय संयुक्त संचालक द्वारा उनकी संस्था से बाहर अन्य परीक्षा केन्द्र में नियुक्त किया जा सकता है। टीटीसेल के द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं का विवरण एनसीव्हीटी एमआईएस पोर्टल में अपलोड किया जायेगा। आदेश प्राप्त होने पर प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षक का यह दायित्व है कि वे निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे -

1. परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 45 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित हों।
2. केन्द्राध्यक्ष/परीक्षा प्रभारी से संबंधित फोल्डर प्राप्त कर उसमें निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा हेतु प्रश्न-पत्र, जॉब-मार्किंग शीट्स, आबंटित बैच व परीक्षार्थियों के रोल नम्बर, जॉब-मार्किंग शीट्स सील करने हेतु निर्धारित प्रारूप में लिफाफा आदि की उपलब्धता जांच कर लें।
3. प्रायोगिक परीक्षक के लिये निर्धारित प्रश्न-पत्र अनुसार कुछ प्रश्नों के लिखित में उत्तर यदि दिये जाने हैं तो परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों की ऐसी परीक्षा निर्धारित तिथि में ही निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से एक साथ लिये जाने हेतु समुचित कार्यवाही करना।
4. यदि प्रश्न- पत्र में लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है तो आवश्यक होने पर प्रायोगिक परीक्षक अपने स्तर पर लिखित प्रश्न-पत्र तैयार कर प्रायोगिक परीक्षा के लिये लिखित परीक्षा भी ले सकते हैं।
5. ऐसी ली जाने वाली लिखित परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सीलबंद लिफाफे में केन्द्राध्यक्ष को सौंपना।
6. प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों की मौखिक परीक्षा भी ली जावे।
7. फिटर, टर्नर, मशीनिष्ट आदि व्यवसायों के प्रायोगिक मूल्यांकन हेतु दिये गये जॉब न बदले जा सके, इस हेतु पंचिग कोड अंकित करना। परीक्षा हेतु निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षणार्थियों से जॉब प्राप्त कर, मूल्यांकन कर लिफाफे में सील बंद कर हस्ताक्षर कर तिथि व समय अंकित कर केन्द्राध्यक्ष को सौंपना।
8. निर्धारित समयावधि में ही प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराना।
9. जॉब मार्किंग शीट में प्रत्येक उपस्थित परीक्षार्थी के प्रायोगिक अंक भरने के पश्चात टोटल के कॉलम अंक के उपर पारदर्शी सैलो टेप चिपकाना।
10. जॉब मार्किंग शीट में अनुपस्थित परीक्षार्थी के रोल नम्बर के आगे ------ ABSENT------ अनिवार्य रूप से मार्क करना।

11. प्रायोगिक परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद हाथ से ही मूल्यांकन किये गये अंक भरे जाकर निर्धारित लिफाफे में सील कर हस्ताक्षर कर परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को सौंपना। लिफाफे के उपर तिथि एवं समय जरूर अंकित किया जावें।
12. संस्थावार सम्मिलित परीक्षार्थियों के प्रशिक्षण स्तर का मूल्यांकन कर अध्यक्ष, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन को सुझाव भेजना।
13. परीक्षा में अनियमितता पाये जाने पर केन्द्राध्यक्ष को सूचित करते हुए सचिव, स्टेट बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन को अलग से गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं उक्त परीक्षा केन्द्र में प्रायोगिक परीक्षा निरस्त करने की अनुशंसा करना।
14. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में प्रायोगिक परीक्षा का सर्वाधिक महत्व है। अतः प्रायोगिक परीक्षक का यह विशेष दायित्व एवं कर्तव्य है कि वे निष्पक्षता से प्रत्येक परीक्षार्थी का सम्रगता में उसके प्रायोगिक कौशल का मूल्यांकन करें। जिससे इंडस्ट्री एवं मार्केट में कार्य करने के दौरान ट्रेनीज़ को आईटीआई के द्वारा दिये गये प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा रहे।